चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : registrar@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ Website : ccsuniversity.ac.in

पत्रांक :– आर० ओ०/ 1249 /2026–27 दिनांक :– 19/07/2026

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष/संयोजक,
दीक्षांत समारोह समिति– 2026,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

विषय :– 38वें दीक्षांत समारोह के दृष्टिगत Single Use Plastic का प्रयोग न करने एवं आगे भी Single Use Plastic का प्रयोग यथासंभव पूर्णतः बन्द करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय पत्र सं० ई० 4072/32–जी०एस०/2026 दिनांक 21.06.2026 एवं विश्वविद्यालय के पत्रांकः आर० ओ०/1109 दिनांक 25.06.2026 तथा विश्वविद्यालय की प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति (**Task Force**) के पत्र दिनांक 17.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के 38वें दीक्षांत समारोह के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न संस्तुति पर सहमति बनी है :–

1. दीक्षांत समारोह से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं में Single Use Plastic का प्रयोग यथासंभव पूर्णतः टाला जाए तथा जहाँ व्यवहारिक रूप से संभव हो, उसका उपयोग न किया जाए।
2. भोजन एवं जलपान की व्यवस्थाओं में प्राथमिकता के आधार पर स्टील, काँच, चीनी-मिट्टी (Ceramic), अरेका पत्ती, कागज़ अथवा अन्य जैव-अवक्रमणीय (Biodegradable) एवं पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
3. जलपान समिति, गेस्ट हाउस, छात्रावासों एवं अन्य आयोजन स्थलों पर नियुक्त कैटरर, सेवा प्रदाता एवं विक्रेताओं को पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश दिए जाएँ कि वे प्रतिबंधित अथवा अनावश्यक Single Use Plastic सामग्री का उपयोग न करें तथा उपलब्ध पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाएँ।
4. जहाँ सुरक्षा, स्वच्छता अथवा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से किसी विशेष सामग्री का उपयोग अपरिहार्य हो, वहाँ भी Single Use Plastic का प्रयोग न्यूनतम स्तर तक सीमित रखा जाए तथा उसके सुरक्षित संग्रहण एवं वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
5. समारोह स्थल, अतिथि गृह, छात्रावासों एवं समस्त परिसर में पर्याप्त संख्या में गीले एवं सूखे कचरे हेतु पृथक-पृथक डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएँ तथा अपशिष्ट का पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
6. स्वच्छता एवं उद्यान प्रभारी तथा सुरक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि समारोह के दौरान परिसर में अनावश्यक प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग न्यूनतम रहे तथा प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए।

7. सभी समिति संयोजक एवं प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं सेवा प्रदाताओं को इन निर्देशों से पूर्व में ही अवगत कराते हुए उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. समारोह के उपरांत सभी आयोजन स्थलों से प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, जिससे विश्वविद्यालय परिसर स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल बना रहे।

विश्वविद्यालय का यह प्रयास केवल शासन एवं राजभवन के निर्देशों के अनुपालन तक सीमित न होकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी संस्थागत प्रतिबद्धता का भी प्रतीक होगा। यह अपेक्षा की जाती है कि सभी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र–छात्राएं समन्वित रूप से कार्य करते हुए दीक्षांत समारोह की गरिमा, आतिथ्य की उत्कृष्टता तथा पर्यावरणीय उत्तरदायित्व—इन तीनों के मध्य संतुलन स्थापित करेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव 19/7/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :–

(1) वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति महोदय जी के सूचनार्थ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
(3) परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
(4) वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
(5) उपकुलसचिव एवं समस्त सहायक कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
(6) समस्त अनुभाग अधिकारी (गैर शैक्षणिक), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
(7) समस्त कर्मचारी संगठन, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव 19/7/26

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय

R9459
18/7/26

दिनांक : 17.07.2026

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय : 38वें दीक्षांत समारोह (22 जुलाई, 2026) के आयोजन में एकल-उपयोग (Single Use) प्लास्टिक के प्रयोग को यथासंभव पूर्णतः निरुत्साहित करते हुए पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्थाएँ सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक–RO/1109 दिनांक 25.06.2026 के संदर्भ में प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 15.07.2026 को अपराह्न 3:00 बजे मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में उक्त विषयक एक बैठक आहूत की गयी।

बैठक में उपरोक्त विषयक एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के 38वाँ दीक्षांत समारोह के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न संस्तुति पर सहमति बनी–

1. दीक्षांत समारोह से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं में Single Use Plastic का प्रयोग यथासंभव पूर्णतः टाला जाए तथा जहाँ व्यवहारिक रूप से संभव हो, उसका उपयोग न किया जाए।

2. भोजन एवं जलपान की व्यवस्थाओं में प्राथमिकता के आधार पर स्टील, काँच, चीनी-मिट्टी (Ceramic), अरेका पत्ती, कागज़ अथवा अन्य जैव-अवक्रमणीय (Biodegradable) एवं पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

3. जलपान समिति, गेस्ट हाउस, छात्रावासों एवं अन्य आयोजन स्थलों पर नियुक्त कैटरर,'सेवा प्रदाता एवं विक्रेताओं को पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश दिए जाएँ कि वे प्रतिबंधित अथवा अनावश्यक Single Use Plastic सामग्री का उपयोग न करें तथा उपलब्ध पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाएँ।

4. जहाँ सुरक्षा, स्वच्छता अथवा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से किसी विशेष सामग्री का उपयोग अपरिहार्य हो, वहाँ भी Single Use Plastic का प्रयोग न्यूनतम स्तर तक सीमित रखा जाए तथा उसके सुरक्षित संग्रहण एवं वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

5. समारोह स्थल, अतिथि गृह, छात्रावासों एवं समस्त परिसर में पर्याप्त संख्या में गीले एवं सूखे कचरे हेतु पृथक-पृथक डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएँ तथा अपशिष्ट का पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

6. स्वच्छता एवं उद्यान प्रभारी तथा सुरक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि समारोह के दौरान परिसर में अनावश्यक प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग न्यूनतम रहे तथा प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए।

7. सभी समिति संयोजक एवं प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं सेवा प्रदाताओं को इन निर्देशों से पूर्व में ही अवगत कराते हुए उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. समारोह के उपरांत सभी आयोजन स्थलों से प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, जिससे विश्वविद्यालय परिसर स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल बना रहे।

विश्वविद्यालय का यह प्रयास केवल शासन एवं राजभवन के निर्देशों के अनुपालन तक सीमित न होकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी संस्थागत प्रतिबद्धता का भी प्रतीक होगा। यह अपेक्षा की जाती है कि सभी अधिकारी समन्वित रूप से कार्य करते हुए दीक्षांत समारोह की गरिमा, आतिथ्य की उत्कृष्टता तथा पर्यावरणीय उत्तरदायित्व–इन तीनों के मध्य संतुलन स्थापित करेंगे।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आगामी दीक्षांत समारोह के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों/विभागो/समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि को शीघ्रातिशीघ्र पत्र जारी करने का कष्ट करें।

धन्यवाद् ,

17/7/2025

प्रो0 दिनेश कुमार
अध्यक्ष
प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति

प्रतिलिपिः– व्यैक्तिक सहा0 कुलपति को, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Email.:- registrar@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ website:-www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक : आर0ओ0/1109/2025–26 दिनांक : 25-06-2026

01. मुख्य छात्रावास अधीक्षक (अध्यक्ष)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. डॉ0 सुशील कुमार (सदस्य)
सह आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

03. विश्वविद्यालय अभियंता (सदस्य)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय,

कृपया श्री राज्यपाल /कुलाधिपति जी के विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश कार्यालय के पत्र संख्याः ई0 4072/32–जी0एस0/2026, दिनांक 21.06.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाये जाने हेतु निर्देश प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर एक "प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति" (Task Force) का गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मा0 कुलपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर एक "प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति" (Task Force) का गठन करते हुए आपको समिति में नामित किया गया है।

अतः आपको श्री राज्यपाल /कुलाधिपति जी के विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश कार्यालय के पत्र संख्याः ई0 4072/32–जी0एस0/2026, दिनांक 21.06.2026 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के सूचनार्थ।
03. वैयक्तिक सहायक परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के सूचनार्थ।
04. सम्बन्धित पत्रावली।

Blue 25/6/26
कुलसचिव

ई–मेल द्वारा

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्याःई-4072 /32-जी.एस/2026

दिनांकः 21/06/ ,2026

प्रेषकः

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय कुलाधिपति महोदया ने पर्यावरण संरक्षण, छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के उद्देश्य से गहरी चिन्ता और संवेदनशीलता व्यक्त की है।

2. वर्तमान समय में सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर्यावरण के लिए एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने और समाज में एक सकारात्मक सन्देश देने के लिए हमारे उच्च शिक्षण संस्थान सबसे सशक्त माध्यम हैं।

3. माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं:–

i. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर, प्रशासनिक भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के भीतर सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (जैसे– प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जाए।

ii. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों में स्थित कैंटीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज/पत्ते के बने बर्तन, जूट या कपड़े के थैलों और कांच/स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए।

iii. नए सत्र के प्रारम्भ में समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं को "प्लास्टिक मुक्त परिसर" की शपथ दिलाई जाए तथा परिसरों में इस सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जाएं।

iv. परिसरों में 'बायो–डिग्रेडेबल' (गीला कचरा) और 'नॉन–बायो–डिग्रेडेबल' (सूखा कचरा) के लिए अलग–अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाए और प्लास्टिक कचरे के रीसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।

v. इस निर्देश के कड़ाई से अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर एक 'प्लास्टिक–मुक्त निगरानी समिति' (Task Force) का गठन किया जाए, जो समय–समय पर परिसरों और सम्बद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण करें।

vi. परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन (जैसे प्रत्येक शनिवार/शुक्रवार) निर्धारित किया जाए, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों

एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने समस्त भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्पूर्ण परिसर आदि में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

4. अतएव इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर–3 के बिन्दु **i** से **vi** तक उल्लिखित अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदया एवं जन भवन, उ.प्र. के अधिकारियों द्वारा दीक्षान्त समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और साप्ताहिक सफाई का निरीक्षण किया जाएगा।

भवदीय,

(डॉ. पंकज एल. जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी